उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–13

संख्या 368 / एक–13–2015–5क(25) / 2013

लखनऊः 12 मई, 2015

अधिसूचना

विविध

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 का 30) की धारा–109 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल सहर्ष नियम बनाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये अधिसूचित करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–112 की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिनको राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रति जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, राजस्व अनुभाग–13, कमरा नं0–29 नवीन भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियम, 2015 होगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) ये नियम उत्तर प्रदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2.नियमों का लागू होना– ये नियम उन समस्त परियोजनाओं और प्रयोजनों जिनका उल्लेख अधिनियम के प्रावधानों में किया गया है, के सम्बन्ध में लागू होंगे।

3.परिभाषाएं–(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क)''अधिनियम'' से अभिप्रेत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 का 30) है।

(ख) '' प्रशासनिक खर्च'' से अभिप्रेत अर्जन के लिए लागत के ऐसे प्रतिशत से है जिसे अधिनियम की धारा–3 उपधारा–झ के खण्ड (vi)(अ) व (आ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट किया जाय।

(ग) '' प्रशासक से अभिप्रेत अधिनियम की धारा–43 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है।

(घ) ''एजेन्सी'' से अभिप्रेत समुचित सरकार द्वारा सामाजिक समाधात अध्ययन प्रक्रिया और सामाजिक सामाधात प्रबन्धन योजना के लिए नियुक्त एजेन्सी से है।

(ड.)''समुचित सरकार'' से अभिप्रेत अर्जन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार और जिले की क्षेत्राधिकार सीमा के अन्तर्गत जिला कलेक्टर से है।

(च) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा–51 की उपधारा (1) में राज्य सरकार द्वारा स्थापित 'भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण' से है।

(छ) ''कलेक्टर'' से अभिप्रेत अपर कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति), विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, उप भूमि अर्जन अधिकारी, कोई अन्य सहायक कलेक्टर, जो राज्य सरकार द्वारा किसी कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (छ) के अधीन नियुक्त किया जाये, से है।

(ज) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा–44 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ''पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त'' से है।

(झ) ''प्रारूप'' से अभिप्रेत इन नियमों के अन्तर्गत विहित किये गये प्रारूप से है।

(ञ) ''स्थानीय निकाय'' और 'स्थानीय प्राधिकरण' से अभिप्रेत ऐसे ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सम्मिलित है) और शहरी स्थानीय प्राधिकरण (जिसमें नगर निकाय, नगर निगम सम्मिलित है) से है, जो विशिष्ट अधिनियमों के अन्तर्गत गठित अथवा स्थापित हों।

(ट) ''योजना'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा तैयार की गयी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना से है।

(ठ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ड) ''सामाजिक समाघात निर्धारण'' से अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीनकिया गया अध्ययन अभिप्रेत है।

(ढ) ''सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना'' से अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (6) के अधीन सामाजिक समाघात अध्ययनप्रक्रिया के भाग रूप में तैयार की गई योजना अभिप्रेत है।

(ण) '' राज्य सरकार'' और ''सरकार'' से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(त) ''राज्य मानीटरी समिति'' से अधिनियम की धारा–50 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने याउनको मानीटर करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके दिये गये है।

अध्याय–1

अर्जन के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही

4. कलेक्टर, अर्जन की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए अपेक्षक निकाय को सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगा। जिले में अर्जन की कार्यवाही के लिए अपेक्षक निकाय द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत विहित किये गये प्रारूपों में, अर्जन के लिए आवेदन कलेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ, यथा स्थिति निम्न अभिलेख सम्मिलित होंगे–

(क) अर्जन के लिए आवेदन प्रारूप आर0आर0–I, जिसे अपेक्षक निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षर करते हुए नाम, पदनाम व कार्यालय की मुहर अंकित की जायेगी;

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारूप आर0आर0–II, जिसमें अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की अनुसूची सहित ग्राम, परगना, तहसील, गाटा/खसरा नम्बर व उनका क्षेत्रफल और किस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के लिए प्रस्तावित की जा रही है, का उल्लेख किया जायेगा;

(ग)सक्षम अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि परियोजना हेतु अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) अपेक्षक निकाय का प्रमाण पत्र प्रारूप आर0आर0–III (भाग–क), जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि परियोजना के उद्देश्य के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि है और इससे न्यून विकल्प उपलब्ध नहीं है;

(ड.) उक्त प्रारूप में अर्जन निकाय का इस आशय के समाधान के साथ प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बन्धित परियोजना अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत यथा परिभाषित लोक प्रयोजन की आवश्यकता को पूर्ण करता है;

(च) प्रारूप आर0आर0–IV(क) और (ख), जिसमें यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि परियोजना के सम्बन्ध में अनुमानित लागत एवं बकाये की स्थिति के साथ प्रतिकर की लागत, परिसम्पत्तियों के मूल्य, प्रभावित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों के सम्बन्ध में धन की पर्याप्त व्यवस्था बजट में कर ली गयी है;

(छ) ग्राम के राजस्व मानचित्र (सजरा) पर अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के साथ–साथ मानचित्र पर बंजर व अकृषित भूमि चिन्हित करते हुए दर्शाया जायेगा;

(ज) प्रारूप आर0आर0–VIमें भूमि पर संरचनाओं, निर्माण, कुओं/नलकूप, वृक्ष आदि दर्शाते हुए परिसम्पत्तियों की विस्तृत सूची, जिसमें प्रत्येक मद में अनुमानित प्रतिकर का उल्लेख किया जायेगा;

(झ) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रारूप आर0आर0–vi में ;

(ञ) अपेक्षक निकाय द्वारा प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत कीजायेंगी, जिसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा और तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि प्रस्तावित भूमि निजी भूमि है। यदि सम्बन्धित ग्राम रिकार्ड आपरेशन अथवा चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है, तब स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख चकबन्दी अधिकारी/बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी/सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए प्रस्तुत की जायेंगी;

(ट) अन्य कोई अभिलेख अथवा सूचना, जैसा कि कलेक्टर द्वारा अपेक्षा की जाय।

5.कलेक्टर इस आशय की जांच करेगा कि प्रस्तावित अर्जन अधिनियम की धारा–10 के प्रावधानों के अनुरूप है अथवा नहीं।

6.कलेक्टर राजस्व प्राधिकारियों से निम्नानुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त करेगा–

(क) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य कोई स्थानीय प्राधिकारी, ग्राम सभा भूमि, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–132 की भूमि सम्मिलित नहीं होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रारूप एल0ए0–Iपर ;

(ख) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि में कोई सीलिंग भूमि सम्मिलित नहीं होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रारूप एल0ए0–IIपर ;

7.कलेक्टर, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में निम्नानुसार अभिलेख तैयार करने और जांच कराने की कार्यवाही करेगा–

(क) प्रारम्भिक जांच प्रारूप एल0ए0–III पर ;

(ख) खसरा व खतौनी प्रारूप एल0ए0–Iv (क) और (ख) पर ;

(ग) अपेक्षक निकाय द्वारा प्रस्तुत परिसम्पत्तियों के विवरण के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण और सत्यापन प्रारूप–आर0आर–vपर ;

(घ) अपेक्षक निकाय द्वारा प्रारूप आर0आर0–III (भाग–ख) पर अभिमत प्रस्तुत करना;

परन्तु, वे सभी अभिलेख एवं रिपोर्ट जो राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी हैं, पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल, नायब तहसीलदार/भूअर्जन अमीन द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। वे ग्राम, जहां रिकार्ड आपरेशन अथवा चकबन्दी प्रक्रियायें प्रचलित है, वहां ऐसे अभिलेख एवं रिपोर्ट सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी/बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी/ सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

8.कलेक्टर आवश्यक भूमि के अर्जन की लागत का अनुमान पूर्ण सावधानी और तत्परता से करायेगा, जिससे अन्तिम अभिनिर्णय और अप्रत्याशित भिन्नता का परिवर्जन किया जा सके। वह प्रशासनिक खर्चों का अनुमान भी तैयार करायेगा और जिसे अपेक्षक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत आरम्भ की गयी कार्यवाही से पूर्व जमा कराया जायेगा। सामाजिक समाधात अध्ययन कराये जाने के लिए लागतों का वर्णन नियमावली में पृथक से किया गया है।

अपेक्षक निकाय द्वारा अर्जन की लागत जमा कराये जाने की प्रक्रिया

9. अपेक्षक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी कार्यवाही के समय अर्जन की अनुमानित लागत एवं प्रशासनिक खर्च, जैसा कि अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (i) के खण्ड (VI) में विर्निदिष्ट किया गया है, के साथ राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई अधिष्ठान और आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, जमा कराया जायेगा।

10. अपेक्षक निकाय द्वारा अग्रिम रूप में अर्जन की अनुमानित लागत, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचना के अन्तर्गत अधिसूचित किया जायेगा, जमा करायी जायेगी। यह धनराशि बैंक व्यवहार के अन्तर्गत स्वीकार्य विभिन्न रीति से जमा करायी जा सकेगी।

11. तत्पश्चात कलेक्टर द्वारा अर्जन लागत एवं प्रशासनिक खर्च के रूप में जमा की गयी अग्रिम धनराशि को चालान के माध्यम से सम्बन्धित भूराजस्व मद में जमा किया जायेगा।

12.कलेक्टर द्वारा आकस्मिक मद, यदि कोई हो, की धनराशि को अर्जन अधिकारी के पृथक खाते में जमा कराया जायेगा। यह आकस्मिक व्यय लेखन सामग्री, विधिक मामलों में, अन्य आकस्मिक व्यय यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर आपरेटर, अमीन, ड्राफ्टमैन आदि पर व्यय अथवा अन्य किसी व्यय के सम्बन्ध में खर्च किया जा सकेगा, जिसके सम्बन्ध में, यथा स्थिति,समुचित सरकार अथवा जिला कलेक्टर से पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। इस निमित्त समुचित बहीलेखा का रख रखाव भूअर्जन अधिकारी के कार्यालय के लेखा लिपिक द्वारा किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित बैंकों के साथ नियमित रूप से प्रति सत्यापित कराया जायेगा ताकि कोई अनियमितता उत्पन्न न हो।

13. अपेक्षक निकाय द्वारा अन्तिम आंकलन तैयार होने के पश्चात अवशेष धनराशि, सामाजिक समाधात अध्ययन कराने के लिए व्यय की आवश्यक धनराशि और ऐसी कोई आधिक्य धनराशि, जैसा कि प्राधिकरण अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अधिनिर्णीत की जाय, को उक्त प्रकार से जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

अध्याय–2

सामाजिक समाधात अध्ययन

14. अर्जन के सम्बन्ध में अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त, समुचित सरकार, अधिनियम के उद्देश्यों के अधीन, अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात अध्ययन के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रारूप एस0आई–I में निर्गत करेगी। इसके अन्तर्गत सामाजिक समाधात अध्ययन करने के लिए अधिकृत सामाजिक समाधात एजेन्सी का नाम भी अधिसूचित किया जायेगा।

15. अधिसूचना की प्रति स्थानीय भाषा में, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम और जिला कलक्टर, उप खंड मजिस्ट्रेट, नगर पालिका/नगर पंचायत, और जिला कलेक्टर, उप खण्ड मजिस्ट्रेट,सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिकारी, प्रशासक, तहसीलदार के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही इसे जिला अथवा सरकार की वेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

16.ऐसी कोई भी अधिसूचना, अपेक्षक निकाय द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन करने के लिए प्रक्रियात्मक फीस जमा कराये जाने के तीस दिन के अन्दर जारी की जायेगी।

17. ऐसी कोई भी अधिसूचना तब तक निर्गत नहीं की जायेगी जब तक कि अपेक्षक निकाय द्वारा ऐसीधनराशि अग्रिमरूप में न जमा करा दी जाय, जैसा कि इन नियमों के संगत प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

18.सामाजिक समाघात अध्ययन, अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण स्तर या वार्ड स्तर या प्रभावित क्षेत्रों में, परामर्श से किया जायेगा ।

सामाजिक समाधात अध्ययन के लिए संस्थागत सुविधा एवं सहायता

19. समुचित सरकार अथवा कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो,जिला सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी, जिसे आगे एजेन्सी कहा गया है, चिन्हित करेगी अथवा स्वतंत्र वाह्य एजेन्सी की स्थापना करेगी, जो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्जन के सभी मामलों में ऐसे व्यक्तियों,जो अपेक्षक निकाय से भिन्न हों, से सामाजिक समाधात अध्ययन कराने के लिए उत्तरदायी होगी। समुचित सरकार सामाजिक समाधात अध्ययन एजेन्सी के चुनाव हेतु सरकार के नियोजन विभाग को भी नामित कर सकेगी। यह नियम संख्या–20 के अनुसार कार्यवाही करेगी।

20. इस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार अथवा कलेक्टर अथवा नियोजन विभाग, जैसी भी स्थिति हो, विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के सामाजिक कार्य विभागों, संकायों, गैर सरकारी संस्थाओं, विषय के पेशेवर व्यक्तियों से, जो अधिनियम के अनुसार सामाजिक समाधात अध्ययन के लिए उत्तरदायी होंगे, प्रार्थना पत्र आमन्त्रित कर सकेगी।

21.समुचित सरकार अथवा कलेक्टर अथवा नियोजन विभाग, जैसी भी स्थिति हो,प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध मेंविश्वविद्यालयों एवं कालेजों के सामाजिक कार्य विभागों, संकायों, गैर सरकारी संस्थाओं, विषय के पेशेवर व्यक्तियों में से ऐसे मान्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूची तैयार करेगी ।

उनकी क्षमता का आकलन साक्षात्कार द्वारा और उनके अनुभव तथा ख्याति का आकलन कर सामाजिक समाघात अध्ययन के लिए जिम्मेदारी देने हेतु परियोजना की आवश्यकतानुसार सुविज्ञ व्यक्तियों का समूह तैयार करेगी और नियम संख्या–14 के अन्तर्गत चयनित एजेन्सी का नाम अधिसूचित किया जायेगा।

22. परियोजना क्षेत्र में सामाजिक समाधात अध्ययन के लिए एजेन्सी की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपेक्षक निकाय को किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

23.एजेन्सी के आकार और चयन की प्रक्रिया परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश–निबंधन (टीओआर) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

24. उन क्षेत्रों में, जहां इस प्रकार की क्षमता वाली एजेन्सियां उपलब्ध न हों अथवा लागत–लाभ की दृष्टि से ऐसी एजेन्सियों को नियुक्त किया जाना अव्यहारिक हो, तब समुचित सरकार सामाजिक समाधात अध्ययन की प्रक्रिया अपने कर्मियों अथवा अधिकारियों से करा सकेगी। इस उद्देश्य के लिए, समुचित सरकार मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला स्तरीय अन्य अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट से न्यून न हो, को प्रक्रिया को मानीटर किये जाने हेतु नोडल आफिसर के रूप में नामित कर सकेगी।

25. सामाजिक समाधात अध्ययन के लिए चयनित एजेन्सी एक समूह नेता नियुक्त करेगी, जो अध्ययन प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर एवं सामाजिक समाधात अध्ययन एजेन्सी के साथ समन्वय स्थापित करेगा और दी गयी समयावधि के अन्तर्गत आवश्यक गतिविधियों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

26. एजेन्सी का चयन किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समूह के नियुक्त सदस्यों के मध्य परियोजना के आंकलन के लिए कोई लाभ विभेद सम्मिलित न हो।

27. यदि किसी प्रक्रम पर ऐसा पाया जाता है कि कोई समूह सदस्य अथवा समूह सदस्य का कोई पारिवारिक सदस्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपेक्षक निकाय से लाभ प्राप्त करता है अथवा परियोजना में उसकी कोई साझेदारी हो, तब उस सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकेगा और समुचित सरकार उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगी।

परियोजना विनिर्दिष्ट निर्देश–निबंधन (टीओआर) और सामाजिक समाधात अध्ययन के लिए प्रक्रियात्मक शुल्क

28. कलेक्टर द्वारा सामाजिक समाधात अध्ययन के लिए निर्देश–निबंधन (टीओआर) अध्ययन करने वाली एजेन्सी के परामर्श करते हुए अन्तिम किया जायेगा।

परन्तु यदि सरकार के नियोजन विभाग द्वारा सामाजिक समाधात अध्ययन एजेन्सी का चुनाव किया जाता है तब निर्देश–निबन्ध पर विचार करने एवं अन्तिम करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा और इस सम्बन्ध में वह अपनी संस्तुति, यथा स्थिति, समुचित सरकार अथवा कलेक्टर को प्रेषित करेगा।

निर्देश–निबन्धन इस नियम के प्रारूप एस0आई0–Iv में संलग्न है।

29.जब समुचित सरकार और एजेन्सी कार्य के निमित्त दरों पर परस्पर सहमत हों, तब जिला कलेक्टर, यदि वह परियोजना के लिए समुचित सरकार है, तब निर्देश–निबन्धन को अनुमोदित करेगा। अन्य मामलों में कलेक्टर उक्त प्रस्ताव को सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन के लिए अपनी संस्तुति के साथ प्रेषित कर देगा।

30. यदि किसी परियोजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि एक से अधिक जिले की सीमाओं में अवस्थित है, तब सम्बन्धित समुचित सरकार अथवा कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्ताव को सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन के लिए प्रेषित करेगा। प्रशासकीय विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

31.सामाजिक समाघात अध्ययन फीस का ***दस प्रतिशत*** सामाजिक समाघात अध्ययन का निर्देश–निबंधन (टीओआर) तैयार करने के लिए प्रशासनिक व्यय और समुचित सरकार को अनुमानित सामाजिक सामाघात अध्ययन फीस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवंटित किया जायेगा, जिसे अपेक्षक निकाय द्वारा समुचित सरकार के समक्ष जमा कराया जायेगा।

32. अपेक्षक निकाय सामाजिक समाघात अध्ययन फीस को इस परियोजना के लिए समुचित सरकार के निर्देशानुसार बैंक खाते में जमा करेगा।

सामाजिक समाधात अध्ययन की प्रक्रिया

33. सामाजिक समाघात अध्ययन के लिए जिला कलक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी एवं अपेक्षक निकाय सम्पूर्ण सामाजिक समाधात अध्ययन प्रक्रिया अवधि के दौरान एजेन्सी द्वारा अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध करायेंगे। एजेन्सी द्वारा ऐसी किसी सूचना के लिए किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में, किये गये अनुरोध के दिनांक से, न्यूनाधिक15 दिवस की अवधि मेंपूर्ण किया जायेगा।

34. एजेन्सी परियोजना क्षेत्र में संख्यात्मक और गुणात्मक डाटा के एक रेंज का संग्रहण और विश्लेषण करेगी, विस्तृत स्थल भ्रमण करेगी, केन्द्रित समूह विचार–विमर्श सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तकनीकों तथा सूचक साक्षात्कारों जैसी सहभागी विधियों की सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में उपयोग करेगी।सभी सुसंगत भूमि अभिलेखों और डाटा, फील्ड सत्यापन, समान परियोजनाओं के पुनरीक्षण और तुलना पर आधारित विश्लेषणों के माध्यम से एक विस्तृत अध्ययनका संचालन किया जायेगा। इस आकलन में निम्नलिखित का अवधारण किया जायेगा, अर्थात–

(क) प्रस्तावित परियोजना के अधीन समाघात का क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि तथा वह क्षेत्र भी है जो परियोजना के पर्यावरण, सामाजिक या अन्य समाघातों से प्रभावित होंगे।

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और अवस्थिति।

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित भूमि का केवल न्यूनतम है ।

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थान और उनकी साध्यता ।

(ड.) क्या अर्जन के लिए अनुसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि प्रत्यक्ष अन्तिम विकल्प है, जैसा कि भारत के संविधान की अनुसूची–5 और 6 में प्रावधान किया गया है ।

परन्तु उन परियोजनाओं में जहां पुनर्व्यवस्थापन अपेक्षित है, पहचान किये गये पुनर्व्यवस्थापन स्थलों का निरीक्षण किया जायेगा और भूमि और उसके वर्तमान निवासित जनसंख्या की एक संक्षिप्त सामाजिक, आर्थिक रूपरेखा उपदर्शित की जायेगी।

35.भूमि निर्धारण, अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन पर आधारित तथ्यों के आधार परएजेन्सी प्रभावित कुटुम्बों की संख्या और उनमें से विस्थापित कुटुम्बों की संख्या का एक सही प्राक्कलन देगा और जहां तक संभव हो, एजेन्सी ऐसे सभी प्रभावित कुटुम्बों की गणना करेगा।

36. प्रभावित क्षेत्र की, उपलब्ध आंकड़ो और सांख्यिकियों, क्षेत्र निरीक्षणों और परामर्शों पर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

37. सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट, इस नियम के प्रारूप एस0आई0–II में समुचित सरकार को , अध्ययन सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत होने के, दो माह के अन्तर्गत प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें प्रभावित कुटुंम्बों के सम्बन्ध में लेखबद्ध अभिलिखित दृष्टिकोण शामिल होगा। तथापि समुचित सरकार लिखित आदेश द्वारा इस अवधि को छः माह तक (जिसमें पूर्व में दिया गया समय सम्मिलित होगा) विस्तारित कर सकेगी।

38. सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (एसआईएमपी) के अन्तर्गत अध्ययन के प्रक्रम पर पहचान किये गये सामाजिक समाघातों पर ध्यान देने के लिए किये जाने वाले बेहतर उपायों को प्रस्तुत किया जायेगा। सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी द्वारा लागत, सामयिकता और क्षमता के स्पष्ट उपदर्शन सहित समाघात शमन और प्रबन्ध युक्तियों की व्यवहार्यता को निर्धारित किया जाना चाहिए। इसे अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (5) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित उपाय होंगे–

(क) जो अधिनियम में यथावर्णित प्रभावित कुटुम्बो के सभी वर्गों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा प्रतिकर के निबंधनानुसार विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

(ख) कि अपेक्षक निकाय ने यह कथन किया है कि वह परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों का दायित्व लेगा ।

(ग) अपेक्षक निकाय द्वारा किये जाने वाले वे अतिरिक्त उपाय, जो इसके द्वारा समाजिक समाघात अध्ययन प्रक्रिया के निष्कर्षों और जन सुनवाई की प्रतिक्रिया में किये गये है।

39. सामाजिक समाघात अध्ययन द्वारा प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के प्रतिकूल सामाजिक समाघातों और सामाजिक लागतों के संतुलन और वितरण का निश्चायक अध्ययन उपलब्ध कराना होगा जिसके अन्तर्गत शमन उपाय भी है और यह अध्ययन भी उपलब्ध कराया जायेगा कि क्या प्रस्तावित परियोजना से फायदे उन सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों से अधिक

है जिनके प्रभावित कुटुम्बों द्वारा अनुभूत किये जाने की संभावना है या प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात् भी प्रभावित कुटुम्बों उक्त भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बदतर होने की जोखिम में तो नहीं रहेंगे। सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (एसआईएमपी) के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धान्त इन नियमों के अन्तर्गत प्रारूप एस0आई0–IIIमें दिये गये है।

40.जहां कहीं भी कोई पर्यावरणीय समाघात अध्ययन किया जाता है वहां इस रिपोर्ट की प्रति, जहां आवश्यक हो, पर्यावरणीय समाघात अध्ययनके लिए प्राधिकृत किये गये समाघात अध्ययन अधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी।

परन्तु सिंचाई परियोजनाओं की बावत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

41.एजेन्सी द्वारा अध्ययन रिपोर्ट के साथ व्यवहार्यता/परियोजना समाधात रिपोर्ट और सामाजिक समाधात प्रबन्धन योजना का सार भी प्रस्तुत किया जायेगा।

सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधात प्रबन्धन योजना पर लोक सुनवाई करने के लिए प्रकिया

42. सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाधात प्रबन्धन योजना के पूर्ण किये जाने के उपरान्त समुचित सरकार द्वारा, प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराकर और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराते हुए सुनवाई की तिथि से अन्यून सात दिन की सूचना पर लोक सुनवाई करायी जायेगी, जिसमें सुनवाई का समय, स्थान, तिथि और अन्य आवश्यक विवरण निर्दिष्ट होंगे। इस सूचना को जिला अथवा सरकार की वेवसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा।

43. लोक सुनवाई, यथा स्थिति, सम्बन्धित अथवा सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों अथवा नगर निकाय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थान अथवा प्रभावित क्षेत्र में सुविधाजनक स्थान पर कराई जायेगी। समुचित सरकार सुनवाई किसी अन्य सुलभ स्थान पर कराये जाने के सम्बन्ध में, इसका औचित्य दर्शाते हुए और सूचना समुचित रूप से प्रकाशित कराते हुए, निर्णय ले सकेगी।

44.समुचित सरकार द्वारा लोक सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी अथवा विकास खण्ड अधिकारी को सुनवाई हेतु अधिकृत कर सकेगी।

45. सामाजिक समाधात अध्ययन एजेन्सी के, यथास्थिति, सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही सुगमता से स्थानीय प्रशासन के समुचित रूप से अधिकृत शासकीय अधिकारियों के साथ सम्पादित करायी जायेगी।

46.प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के समय सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट में प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में प्रतिपुष्टि की जायेगी और इस पर अतिरिक्त सूचनाओं एवं दृष्टिकोण को अन्तिम अध्ययन रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

47.लोक सुनवाई ऐसी सभी ग्राम सभाओं में की जायेगी जहां बीस प्रतिशत से अधिक सदस्य भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों।

48.सामाजिक समाघात अध्ययनरिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना का प्रारूप लोक सुनवाई से सात दिवस पहले कलेक्टर, भूमि अर्जन के कार्यालय में प्रकाशित किया जायेगा।

49. अपेक्षक निकाय को भी प्रारूप रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। रिपोर्ट और सारांश की पर्याप्त प्रतियां जन सुनवाई के दिन उपलब्ध कराई जायेगी।

50.सुनवाई की समस्त कार्यवाहियां स्थानीय भाषा में की जायेगी ताकि समस्त प्रतिभागियों को समझने में सुगमता हो और अपने विचार प्रकट कर सके।

51.अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि भी जन सुनवाई में हाजिर रहेंगे और प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और प्रसंगों पर ध्यान देंगे।

52.जन सुनवाई की कार्यवाहियों की यथा आवश्यकतानुसार वीडियों रिकार्डिंग करायी जायेगी और लोक सुनवाई का कार्यवृत्त तैयार कराया जायेगा। लोक सुनवाई की रिकार्डिंग और कार्यवृत्त की प्रति अन्तिम सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के अभिन्न भाग के रूप में संलग्न की जायेगी।

53.लोक सुनवाई की समाप्ति के पश्चात् सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी, लोक सुनवाई के समय प्राप्त सम्पूर्ण प्रतिपुष्टि और एकत्रित सूचना का विश्लेषण करेगी और तद्नुसार उसे अपने विश्लेषण सहित पुनरीक्षित सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट में सम्मिलित करेगी।

54.लोक सुनवाई में उठाये गये प्रत्येक आक्षेप को अभिलिखित किया जायेगा और सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि समाजिक समाघात अध्ययनरिपोर्ट में प्रत्येक आक्षेप पर विचार कर लिया गया है।

55.किन्हीं भी मामलों में पुनर्सुनवायी की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि अन्यथा यह स्थापित न हो कि पूर्व सुनवायी में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा सुनवायी के समय किसी व्यक्ति/सदस्य द्वारा दुर्व्यहार किया गया हो, जिसके फलस्वरूप शान्ति और कानूनएवं व्यवस्था प्रभावित हुई हो। किसी कार्यवाही के प्रभावित होने की स्थिति में लोक सुनवाई को पूर्ण समझा जायेगा। ऐसी स्थिति में दावों, आपत्ति/सुझावों के लिए सात दिन का समय प्रदान किया जायेगा।

सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना को प्रकाशित किया जाना

56. लोक सुनवाई के पश्चात, अन्तिम सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना, यथा स्थिति, कलेक्टर अथवा समुचित सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी, जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जैसी भी स्थिति हो, जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, प्रशासक और तहसीलदार के कार्यालयों में इनका प्रकाशन करायेगा। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही

इसे जिला अथवा सरकार की वेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा। सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना की एक प्रति अपेक्षक निकाय को भी दी जायेगी।

समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना का प्रस्तुत किया जाना

57.सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को एकल दस्तावेज में सभी संसंगत सूचना और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए बनाया जायेगा और एजेन्सी द्वारा, यथास्थिति, कलेक्टर अथवा समुचित सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

58. सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्राप्त होने पर उनके द्वारा इसे प्रारूप आर0आर0–III (पार्ट–बी) में दो सप्ताह के भीतर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

59.सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना को प्रेषित करने से पूर्व सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजनापर अपेक्षक निकाय को लोक सुनवायी के समय प्रस्तुत दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा। अपेक्षक निकाय अवसर की सूचना प्राप्ति के दस दिवस के अन्दर अपनीआपत्ति और सुझाव प्रस्तुत करेगा। यदि दस दिवस के अन्तर्गत कोई सुझाव प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि अपेक्षक निकाय को प्रबन्धन योजना का ड्राफ्ट स्वीकार्य है। तद्पश्चात कलेक्टर अथवा समुचित सरकार, जैसी भी स्थिति हो, सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के सम्बन्ध में समुचित अभिलेखों के साथ, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह को मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेगा।

विशेषज्ञ समूह का गठन और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन

60.समुचित सरकार अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) में बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे–

(क) दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाय,

(ख) यथास्थिति, पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम के दोप्रतिनिधि,

(ग) पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ,

(घ) परियोजना से सम्बन्धित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ,

परन्तु राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार के नियोजन विभाग को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु सदस्यों के मनोनयन हेतु अधिकृत कर सकेगी।

61.विशेषज्ञ समूह समाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (4) और (5) में दी गयी दशाओं के अन्तर्गत करेगा और इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के दो माह के भीतर अपनी संस्तुति करेगा।

परन्तु विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनी सिफारिशों में उन आधारों को, जिनकी बावत सिफारिश की जा रही हो, उसके व्यौरे और ऐसे विनिश्चय के लिए कारण देते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करेगी जहां

विशेषज्ञ समूह का मत है कि परियोजना का तुरन्त परित्याग कर दिया जाय और भूमि के अर्जन के लिए कोई और कदम न उठाये जायँ अथवा अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया अर्थात न्यूनतम सीमा तक है और इससे कम विस्थापित किये जाने सम्बन्धी अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की गयी संस्तुति की एक प्रति समुचित सरकार और अन्य प्रति जिला कलेक्टर को प्रकाशन के लिए प्रेषित की जायेगी।

62. जिला कलेक्टर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही इसे जिला अथवा सरकार की वेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

समाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार

63. सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक समाधात प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में निर्णय समुचित सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–8 में दिये गये मानकों के अनुसार किया जायेगा।

64. वह सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट, विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों, कलक्टर की रिपोर्ट यदि कोई हो, की परीक्षा करेगी और अर्जन के लिए ऐसे क्षेत्रों, जिससे जनता के न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, पारिस्थितिकी में न्यूनतम विघ्न और प्रभावित व्यष्टियों पर न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित हो, की सिफारिश करेगा। समुचित सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–8 की उपधारा (1) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

65. इस बात का समाधान होने पर कि अपेक्षित भूमि अथवा अपेक्षा की जाने वाली भूमि की लोक हित में आवश्यकता है, तब कलेक्टर को अर्जन की अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए अन्तिम संस्तुति उपलब्ध करायी जायेगी। इन संस्तुतियों को यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम और जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसे प्रभावित क्षेत्र में प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित कराया जायेगा और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा। साथ ही इसे जिला अथवा सरकार की वेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

भू–अर्जन और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए वेब–आधारित कार्य प्रगति और प्रबन्धन सूचना तंत्र (एम0आई0एस0)

66.समुचित सरकार एक समर्पित, उपयोक्ता अनुकूल वेवसाइट बनाएगी जो ऐसे सार्वजनिक प्लेटफार्म के रू‍प में कार्य करें जिस पर सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना से आरम्भ होकर विनिश्चिय करने, कार्यान्वयन और संपरीक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक कदम को खोजते हुए प्रत्येक अर्जन मामले की सम्पूर्ण कार्य प्रगति को दर्शाया जायेगा।

बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित भूमि की सूची

67. भूमि की न्यूनतम मात्रा के अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमियों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए जिले का कलेक्टर बंजर, अनुपजाऊ और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकार के भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि की एक जिला स्तरीय सूची रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध करायगी। सूची रिपोर्ट को समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा।

अध्याय–3

सहमति प्राप्त करने की अपेक्षायें एवं प्रक्रिया

68. जहां अधिनियम की धारा–2 उपधारा (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के लिए अपेक्षा की जाती हो, वहां कलक्टर सहमति और घोषणा के लिए प्रारूप भाग–क में प्रभावित भू–स्वामियों सेपूर्वसहमति सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ अभिप्राप्त करेगा। सहमति अभिप्राप्त करने के लिए कतिपय सिद्धान्त निम्नवत् है–

(क) कलक्टर पूर्व सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में राजस्व अधिकारियों अथवा उसके नियंत्रणाधीन अन्य अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा।

(ख) जिला कलेक्टर अथवा जिला कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने वाले उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रभावित क्षेत्र भूमि के अधिकार, जुताई, भू–अभिलेखों से सम्बन्धित विद्यमान विवादों का निपटारा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी जिससे कि सहमति होने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व भू–स्वामियों की सही पहचान हो सके। कलेक्टर इस कार्य हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत किये जाने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर कार्यवाही पूर्ण करायेगा।

(ग)कलेक्टर भू–अभिलेखों को शुद्ध एवं अद्यतन करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त, सामाजिक समाघात एजेन्सी से परामर्श लेते हुए, प्रभावित उन सभी भू–स्वामियों की सूची तैयार करायेगा, जिनसे सहमति अभिप्राप्त की जानी हो।

(घ)इस सूची को सहमति अभिप्राप्त करने के दिनांक से दस दिन पूर्व प्रभावित क्षेत्र के किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड.) कलक्टर यथास्थिति, ग्राम पंचायत, नगरपालिका अथवा नगर निगमके प्रतिनिधियों से परामर्श करके ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू–स्वामियों का अधिवेशन आयोजित करने के

लिए कम से कम दो सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा। इसे दो स्थानीय समाचार पत्रों, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में भी प्रकाशित कराया जायेगा।

(च)अपेक्षक निकाय और उनके प्रतिनिधि, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा उठाये गये प्रश्नोंका जवाब देंगे। निबंन्धन और शर्तें, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्रतिकर और अपेक्षक निकाय द्वारा प्रतिबद्ध अन्य उपाय सदस्यों को स्थानीय भाषा में स्पष्ट किये जायेगें और ऐसे निबंधन और शर्तों पर सदस्यों के साथ ही साथ अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त किये जायेंगे।

(छ)अपेक्षक निकाय द्वारा सहमत प्रस्तावित निबंधन और शर्तों को प्रभावित भू–स्वामियों के अधिवेशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में प्रत्येक भू–स्वामी को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(ज) भू–स्वामी अपनी व्यक्तिगत सहमति अधिकृत अधिकारी को देंगे।

(झ)भू–स्वामियों द्वारा अपनी लिखित सहमति शपथ पत्र में दी जायेगी जिस पर उनकी फोटो चस्पा हो एवं प्रारूप पर उनके अंगूठे का इम्प्रेशन तथा हस्ताक्षर (यदि बना सके) शपथ पत्र पर अंकित किया जायेगा।

(ञ)अपेक्षक निकाय का अधिकृत प्रतिनिधि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा अपेक्षक निकाय की मुहर, इस सहमति के नियम व शर्तों पर भी लगायेगा।

(ट)किसी ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य, लेखपाल, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, या कोई सरकारी कर्मचारीसाक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह सहमति देने वाले व्यक्ति को पहचानता है।

(ठ) घोषणा पत्र कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(ड़) इस प्रकार प्राप्त की गयी सहमति के प्रारूप और घोषणा की मूल प्रति भू–अर्जन अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जो ऐसे समस्त भूस्वामियों की सूची तैयार करते हुए अपेक्षक निकाय को उपलब्ध करायेगा। इस सूची की एक प्रति, अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत करने से पूर्व, अर्जन प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

(ढ) प्रत्येक व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी।

(ण)एक भूमि से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों द्वारा एक प्रपत्र में सहमति दी जा सकेगी।

(ज)एक ही व्यक्ति द्वारा अर्जनाधीन अपनी भिन्न–भिन्न भूमियों के लिए एक ही प्रपत्र प्रयोग में लाया जायेगा।

(थ) किसी भूस्वामी द्वारा उपरोक्त अनुसार सहमति देने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

(द)भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन किये जाने की स्थिति में ग्रामसभा की सहमति, भू–स्वामियों की सहमति के पूर्व अनिवार्य रूप से ली जायेगी।

(ध)धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

(न) सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया के समय उठायी गयी सभी आपत्तियों को अभिलिखित किया जायेगा और अपेक्षक निकाय द्वारा इन पर विचार किया जायेगा।

(प) सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान, उन भू–स्वामियों को, जो अधिवेशन में अनुपस्थित रहे और उनके द्वारा सहमति नहीं दी गयी अथवा अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत किये जाने के पूर्व आपत्ति नहीं दी गयी है, तो इनके विषय में यह समझा जायेगा कि उन्हें अविरत प्रस्तावित अर्जन में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति

69. भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन किये जाने की स्थिति में ग्रामसभा की सहमति कलेक्टर द्वारा सहमति के प्रारूप व घोषणा भाग–ख में प्राप्त की जायेगी। कलक्टर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से परामर्श करके विशेष ग्राम सभा अधिवेशन आयोजित करने के लिए कम से कम दो सप्ताह पूर्व उसकी तारीख, समय और स्थान अधिसूचित करेगा और ग्राम सभा सदस्यों को प्रेरित करने और प्रतिभाग करने के लिए जन जागरूगता अभियान चलायेगा।

70. ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, जैसा कि इन नियमों के अन्तर्गत नियम–68 (क) से (प) में वर्णित है।

71. बैठक की गणपूर्ति उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 में वर्णित प्रावधान के अनुसार रहेगी,

परन्तु ग्राम सभा बैठक में ग्राम सभा की एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगी।

72. किसी ग्राम सभा द्वारा उपरोक्तानुसार एक बार सहमति देने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

अध्याय–4

भूमि अर्जन की प्रारम्भिक अधिसूचना

73. सहमति की प्रक्रिया एक बार पूर्ण होने और सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट व सामाजिक समाधात प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त कलेक्टर प्रस्ताव और अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। इसके उपरान्त प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत करने के लिए वह अपना मत **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–**V में अभिलिखत करेगा।

74. प्रस्ताव के परीक्षण के उपरान्त यथा स्थिति समुचित सरकार अथवा कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना प्रारूप एल0ए0–VIमें, अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ, निर्गत की जायेगी। अधिसूचना में ग्राम, परगना, तहसील, जिला, खसरा/गाटा नम्बरानों का विवरण और उनका अर्जनाधीन क्षेत्रफल तथा जिस उदेश्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, का उल्लेख किया जायेगा।

75. कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी, यदि–

(क) अर्जन किसी संघ के प्रयोजन के लिए हो,

(ख) उक्त अधिनियम की धारा–40 का उपबन्ध लागू किया जाना हो और धारा–15 के प्रर्वतन का अधित्यजन किया जाना हो। ऐसे मामलों में कलेक्टर अपने द्वारा संचालित कार्यवाहियों के अभिलेख और आपत्तियों पर अपनी संस्तुतियों सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज देगा। सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

76.प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जैसा कि अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) व उपधारा (2) में दिया गया है। इसे प्रभावित क्षेत्र में दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित कराया जायेगा।

77.अर्जन की प्रक्रिया का प्रारम्भ,समुचित सरकार अथवा कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना के निर्गत करने के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशन से समझा जायेगाऔर अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्तिम प्रकाशन होने के साथ पूर्ण समझा जायेगा।

परन्तु अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (7) में वर्णित 12 माह की अवधि को, इस प्रकार अन्तिम रूप से प्रकाशन के दिनांक से संगणना की जायेगी।

परन्तु यह और कि अधिसूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया को, उसके शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

78. अधिसूचना की प्रति प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा की जायेगी।

79.कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

परन्तु कलक्टर यथा अधिसूचित भूमि के स्वामी द्वारा आवेदन किए जाने पर विशेष परिस्थितियों में, लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से, ऐसे स्वामी को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगा।

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझ कर किये गये अतिक्रमण के कारण हुये किसी नुकसान या क्षति की पूर्ति कलेक्टर द्वारा नहीं की जायेगी।

80.निर्गत की गयी प्रारम्भिक अधिसूचनाकी प्रति सम्बन्धित तहसीलदार, सहायक भूलेख अधिकारी अथवा बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी/चकबन्दी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को

नियम–79 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। इसे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप निबन्धक को नियम–79 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

अभिलेखों का अद्यतनीकरण

81. अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) में निर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक से दो माह के अन्तर्गत कलक्टर भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों का अद्यतनीकरण करेगा और ऐसी भू–अभिलेखों में सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्बन्ध में शुद्धि और नामांतरण करने के सम्बन्ध में ऐसी आवश्यक कार्यवाहियां सम्पादित करेगा, जैसा कि आवश्यक हो।

भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण

82. जब धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा जारी कर दी जाती है, तो कलेक्टर अधिनियम की धारा–12 के अधीन,अधिसूचित की गयी भूमि के प्रारम्भिक सर्वेक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

आक्षेपों की सुनवायी

83. अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत आक्षेप प्रस्तुत करने की कार्यवाही, धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन की गयी अधिसूचना में वर्णित तिथि के साठ दिन के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी।

84. आक्षेपों की सुनवाई के लिए सूचना प्रभावित क्षेत्र में दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में प्रकाशित की जायेगी और लोक सूचना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कराया जायेगा, जिसमें समय, कार्यालय के स्थान (प्राथमिक रूप से भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में) और तिथि का उल्लेख होगा।

85.धारा–15 के अधीन आपत्तियों की सुनवाई के कर्तव्य का पालन, नियम में यथापरिभाषित, कलेक्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया जायेगा और उसको प्रत्यायोजित नहीं किया जायेगा।

86.जब कलेक्टर, विहित अवधि के भीतर, भूमि में हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई लिखित आपत्ति प्राप्त करता है, तो वह आक्षेपकर्ता को अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या अधिकृत अधिवक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने और साक्ष्य, यदि कोई हो, जिन पर वह निर्भर करता हो, प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस आपत्तिकर्ता पर तामील करायेगा। कलेक्टर द्वारा सुनवाई और जांच की नोटिस अपेक्षक निकाय को भी दी जायेगी और यदि उक्त अधिकारी भूमि अर्जन के प्रस्ताव के समर्थन में सुनवाई या साक्ष्य देना चाहे, तो उसको या तो व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति देगा।

87.दोनों पक्षों में किसी के द्वारा आवेदन देने पर कलेक्टर, धारा–35 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

88.कलेक्टर द्वारा सुनवाई को समय–समय पर यदि आवश्यक हो, स्थगित करने का अधिकार होगा।

89.धारा–19 के प्रथम परन्तुक के अनुसार, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा–19 के अधीन घोषणा प्रकाशन के लिए धारा–11(1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से 12 माह की समय–सीमा विहित की गयी है, जांच को इस अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा।

परन्तु राज्य सरकार को आक्षेपों की सुनवाई की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती है,

परन्तु यह भी कि अवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी किसी विनिश्चय को अभिलेखबद्ध किया जायेगा और उसे अधिसूचित किया जायेगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी की वेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

90.कलेक्टर समस्त आपत्तियों की सुनवाई करने और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य या भूमि अर्जन के प्रस्ताव के समर्थन में एक ज्ञापन अभिलिखित करने के पश्चात् और अग्रेतर जांच करने के बाद यदि वह उचित समझे, मामले का विनिविश्चय करने के लिए उसके द्वारा आयोजित कार्यवाहियों के अभिलेख और आपत्तियों पर अपनी संस्तुतियों को सम्मिलित करते हुएरिपोर्ट,अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत घोषणा के लिए प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव, के साथ समुचित सरकार को मामले के निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यदि जिला कलेक्टर परियोजना के लिए समुचित प्राधिकारी है, तो वह ऐसी संस्तुतियों पर निर्णय लेगा। समुचित सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

परन्तु यह भी कि यदि किसी परियोजना क्षेत्र के लिए भूमि का अर्जन एक या अधिक जिले के क्षेत्राधिकार में आता है, तो यथास्थिति, सम्बन्धित समुचित सरकार अथवा कलेक्टर प्रस्ताव को सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को आवश्यक अनुमोदन के लिए भेज देगा। प्रशासकीय विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय–5

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनके लिए प्रशासक द्वारा स्कीम का तैयार किया जाना

91. कलक्टर द्वारा भूमि अर्जन के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–11 की उपधारा–1 के अधीन निर्गत की गयी प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के लिए प्रशासक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा, द्वारा स्वयं अथवा अधिकृत किसी राजकीय अधिकारी अथवा बाह्य स्रोत द्वारा नियुक्त एजेन्सी के माध्यम से स्थल सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुम्बों के सांख्यिकीय गणना हेतु कार्यवाही, अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (1) में वर्णित रीति से प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण कराया जायेगा।

92.प्रभाावित क्षेत्र में स्थल सर्वेक्षण और प्रभावित कुटुम्बों के सांख्यिकीय गणना हेतु प्रशासक द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार आंकड़े प्राप्त किये जा सकेंगे ।

93.परियोजना क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात अध्ययन एजेन्सी द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार प्रस्तुत किये गये विवरण अथवा स्थानीय निकाय के अभिलेखों और स्थलीय भ्रमण द्वारा जानकारी की जायेगी।

94. सर्वेक्षण के आधार पर प्रशासक द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का मसौदा तैयार किया जायेगा, जिसमें अधिनियम की धारा–16 की उपधारा–2 में विनिर्दिष्ट कारकों के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(क) विस्थापित होने वाले सम्भावित कुटुम्बो की सूची,

(ख) प्रभावित क्षेत्र में विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सूची,

(ग) प्रभावित क्षेत्र में भूधारकों की सूची,

(घ) प्रभावित क्षेत्र में व्यवसायियों की सूची,

(ड.) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन हो रहे व्यक्तियों की सूची,

(च)प्रभावित क्षेत्र में हानिग्रस्त अनुसूचित जाति, जनजाति और विकलांग हो रहे समूहों की सूची,

(छ) प्रभावित क्षेत्र में कृषि मजदूरों की सूची,

95. प्रशासन द्वारा योजना का मसौदा विस्तार पूर्वक व्यौरेवार तैयार करने का प्रयास किया जायेगा ताकि भावी आपत्तियों को न्यून किया जा सके।

96.प्रशासक द्वारा अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत तैयार किये गये योजना के मसौदेका प्रकाशन प्रभावित क्षेत्र में दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, कराते हुए सूचित किया जायेगा। इस मसौदे को सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम, जैसी भी स्थिति हो, में विचार विमर्श के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

97. प्रशासक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के मसौदे पर लोक सुनवाई,अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत तैयार की गयी योजना के प्रकाशन के पूर्व, उस तिथि पर, जैसा कि वह उपयुक्त समझेगा,, की जायेगी। लोक सुनवाई के लिए, अधिनियम की धारा–16 की उपधारा–5 के अनुसार उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, जैसा कि इन नियमों के अन्तर्गत नियम–84 से 90 में लोक सुनवाई के लिए विनिर्दिष्ट है।

98. लोक सुनवाई पूर्ण होने के उपरान्त प्रशासक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के मसौदे के साथ लोक सुनवाई के समय उठाये गये दावों एवं आपत्तियों पर अपनी विशिष्ट रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को सौंप देगा।

99.कलेक्टर द्वारा धारा–17 की उपधारा (1) व उपधारा (2) में दी गयी प्रक्रिया का अनुश्रवण करते हुए योजना के मसौदे का पुनर्विलोकन करेगा।

100. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अनुमोदन और प्रकाशन के लिए अधिनियम की धारा–18 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

प्रशासक की शक्तियां, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

101. प्रशासक द्वारा निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा, जिसमें निम्न होंगे–

क.प्रभावितकुटुम्बों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और आकड़ों का संग्रहण नियमों में विहित प्रक्रिया एवं अवधि के अन्तर्गत पूर्ण करना,

ख.पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का मसौदा तैयार करना,

ग. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे का जन सामान्य के लिए प्रकाशन कराना, जैसा कि नियम में वर्णित है,

घ.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना का मसौदा सम्बन्धित व्यक्तियों और प्राधिकारी को उपलब्ध कराना,

ड.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे पर प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई हेतु नोटिस

निर्गत एवं प्रकाशित करना,

च. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे पर प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई करना,

छ. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना के मसौदे पर अपेक्षक निकाय को सुझाव एवं अभिमत देने हेतु अवसर प्रदान करने की कार्यवाही कराना,

ज.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्बन्धी अन्तिम योजना पर अपनी संस्तुति सहित कलक्टर को प्रस्तुत करना,

झ.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनयोजना का मसौदा कलक्टर को प्रस्तुत करना,

ञ. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनयोजना के मसौदे का प्रकाशन कराया जाना,

ट.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिनिर्णय की कार्यवाही के समय कलक्टर की सहायता करना,

ठ.पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अध्ययन सम्बन्धी प्रगति का सामान्य अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना,

ड. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पश्चात आडिट सम्बन्धी मामलों में सहायता करना,

छ. अन्य कोई निर्देश, जैसा कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में किया जाना हो अथवा प्रदान किया जाय।

अनुमोदितपुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रकाशन

102. आयुक्तपुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन द्वारा, अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से तैयार की गयी अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना कोजन सामान्य की सूचना हेतु, प्रभावित क्षेत्र में दो दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा, में कराया जायेगा और प्रभावित क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थानों पर इश्तहार चिपकाकर प्रकाशित किया जायेगा तथाजिले अथवा सरकार की वेबसाइट पर डाला जायेगा।

103.अनुमोदित योजना की प्रतियां सम्बन्धित ग्राम पंचायत, तहसीलदार, उप खण्ड अधिकारी, कलेक्टर और प्रशासक के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेंगी।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन घोषणा और सारांश का प्रकाशन

104. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम की धारा–19 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत घोषणा प्रारूप एल0ए0–VII में निर्गत की जायेगी, जिसमें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश और विस्थापित कुटुम्बों के स्थापन चिन्हित भूमि का उल्लेख होगा।

105. ऐसी कोई अधिसूचना तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि अपेक्षक निकाय द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत नियम 9 से 13 के अनुसार धनराशि जमा न करा दी गयी हो।

106.धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशन की ऐसी कार्यवाही जो अन्तिम रूप में की जायेगी, प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि समझी जायेगी।

भूमि का सीमांकन

107.जब धारा–19 के अधीन कोई घोषणा जारी कर दी जाती है, तब अधिकृत अधिकारी इस अधिनियम की धारा–12 के अधीन यदि अर्जित क्षेत्र के सीमांकन की कार्यवाही पहले न की गई हो, करने की कार्यवाही करेगा। खसरे में परिकलित क्षेत्र और अर्जन के लिए अधिसूचना अथवा घोषणा में अधिसूचित क्षेत्र के बीच अन्तर की दशा में कलेक्टर द्वारा एक तिथि निश्चित की जायेगी जिसमें राजस्व विभाग के नियुक्त अधिकारी, अपेक्षक निकाय और भू अर्जन कार्यालय के अमीन स्थल पर भूमि की माप की जांच करेंगे और भू अभिलेखों से उसका सत्यापन करेंगे। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तब उसे कलेक्टर के संज्ञान में लाया जायेगा, ताकि उसे ठीक किया जा सके। यदि अधिसूचित क्षेत्र अर्जन के लिए आशयित क्षेत्र से सारवान रूप में कम प्रकट होता हो तो इसकी सूचना कलेक्टर के माध्यम से सरकार को समाधान के लिए प्रेषित की जायेगी।

हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना

108. माप तय हो जाने के उपरान्त कलेक्टर अधिनियम की धारा–21 के प्रावधानों के अनुसार**भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–IX(क) व भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–IX(ख)** पर सामान्य सूचना निर्गत करायेगा, जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों से सूचना में प्रकाशन के दिनांक के भीतर दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। इस नोटिस की सूचना अभिलेख

अधिकारी, यथा तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी अथवा सहायक भूलेख अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को भी दी जायेगी। सूचना को ग्राम के किसी सदृश्य लोक स्थान पर चस्पा भी किया जायेगा।

अध्याय–6

अधिनिर्णय एवं प्रतिकर

भू–अर्जन अधिनिर्णय

109.कलक्टर नियम–109 के अधीन दी गयी लोक सूचना और प्रकाशन के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों से प्राप्त उन आक्षेपों के बारे में, यदि कोई हों, जांच एवं निस्तारण करेगा और अधिनियम की धारा–23 के अन्तर्गत भू–अर्जन अधिनिर्णय आरम्भ करेगा। प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु कलेक्टर निम्न कार्यवाहियां अनुसरित करेगा–

क.प्रत्येक गांव में सीमांकित भूमि का पृथक रेखाचित्र गांव के रेखाचित्र के पैमाने पर कार्यवाहियों के अभिलेख के लिये तैयार किया जाना चाहिए,

ख.प्रत्येक गांव के लिये **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–IV(क)** तीन में एक खसरा तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें अर्जित किए जाने वाले प्रत्येक भू–खण्ड की प्रकृति, क्षेत्रफल और गुणवत्ता तथा उस पर स्थित पेड़ों, फसलों, आवासों या अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रविष्टियों के सम्बन्ध में भू–अर्जन कार्यालय के अमीन द्वारा जांच करके व्यक्तिगत परीक्षण किया जाना चाहिए। खसरा पर सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों और भू अर्जन अधिकारी द्वाराप्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

ग.खसरा तैयार करते समय निबन्धन विभाग के उप निबन्धक कार्यालय से, बाजार मूल्य के अवधारण हेतु, **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–V**में विक्रय पत्रों के सम्बन्ध में ऐसे व्योरों का संग्रहण किया जाना चाहिए, जो अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष के अन्तर्गत हुये हों। बाजार मूल्य की अवधारण की तारीख, वह तारीख होगी, जिसको धारा–11 के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की गयी है।

घ.इसी के साथ अधिनियम की धारा–29 के अनुसार अर्जनाधीन भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों, यथा वृक्ष, टयूववेल, संरचना और अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। भू अर्जन अधिकारी सम्बन्धित विभागों द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टर से अनुरोध कर सकेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट **प्रारूप भू0अ0–VIII** में तैयार की जायेगी। इन परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिएतारीख, वह तारीख होगी, जिसको धारा–11 के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की गयी है।

ड.एक खतौनी **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–IV(ख)**में तहसीलदार, चकबन्दी और सहायक भूलेख अधिकारी के कार्यालयों में संरक्षित सम्बन्धित ग्राम के राजस्व अभिलेखों से तैयार

की जायेगी। अर्जनाधीन भूमि का लगान/भू–राजस्व का परिकलन उस खतौनी में दिया जायेगा।

च. अर्जनाधीन भूमि के प्रत्येक मद की मूल्यांकन रिपोर्ट का विस्तृत विवरण, प्रारम्भिक अधिसूचना के दिनांक को बाजार मूल्य के अनुसार, **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–VIII**में बनाया जायेगा।

110.भू अर्जन अधिकारी, यदि वह जिला कलेक्टर न हो, तब जिला कलेक्टर से परामर्श कर सकेगा और उससे आदेश प्राप्त कर सकेगा कि उसके अनुमान के अनुसार प्रतिकर और भू राजस्व में कटौती का आंकलित मूल्य समुचित रूप से क्या हो सकता है? इसके लिए जिला कलेक्टर प्रतिकर के औचित्य के परीक्षण हेतु अधिकारियों को नामित कर सकेगा।

111.नोटिस में दी गयी दिनांक को, कलेक्टर अनुमानित किये गये प्रतिकर के आधारों को दर्शाते हुए समेकित प्रतिकर ब्यौरा पत्र में विवरण, **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XI** में रखेगा और भूमि का अधिनिर्णय **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XII** में घोषित करेगा।

112. अनुमानित प्रतिकर में किसी प्रकार के विचलन के सम्बन्ध में अपेक्षक निकाय को सूचित किया जायेगा। अपेक्षक निकाय द्वारा मांग की गयी धनराशि को एक माह के भीतर जमा कराया जायेगा। यदि अपेक्षक निकाय, आधिक्य लागतों के सम्बन्ध में, कोई आपत्ति करता है अथवा धनराशि जमा कराये जाने से इनकार करता है, तब अर्जन की प्रकिया रोक दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहां अर्जन की कार्यवाही रोक दी गयी है, राज्य सरकार शासकीय आदेश के द्वारा धनराशि पर ऐसी कटौती कर सकती है, जैसा कि वह उपयुक्त समझें।

113. कलेक्टर किसी भी पक्ष के अनुरोध पर या अन्यथाकार्यवाहियों को स्थगित कर सकेगा। किन्तु पक्षकारों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का विनिश्चय शीघ्रता एवं सावधानी पूर्वक करेगा।

114. कलेक्टर नियत दिनांक को उन दावों और आक्षेपों को, यदि कोई हो, जो किसी हितबद्ध व्यक्ति ने किया हो, चाहे वह भूमि के माप, प्रतिकर की धनराशि, जो व्यक्ति को संदेह हो, उसके सम्बन्ध में हो या हितबद्ध व्यक्तियों के बीच प्रभाजन के सम्बन्ध में हो, जांच की कार्यवाही करेगा और धारा–23 में निर्दिष्ट विषयों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में अधिनिर्णय तैयार करेगा।

115. अधिनियम की धारा–23 के अन्तर्गत, अधिनिर्णय की घोषणा के लिए वित्तीय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

116. अधिनिर्णय में वह सब मद सम्मिलित होंगे, जैसा कि अधिनियम की धारा–28, 29 व 30 में वर्णन किया गया है। प्रत्येक अधिनिर्णय की घोषणा अथवा संप्रेषण यथाशीघ्र पक्षकारों को किया जायेगा।

117. जहां अधिनिर्णय किये जाने के पश्चात कोई लिपिक या गणित सम्बन्धी गलतियां कलेक्टर के संज्ञान में आती है अथवा उसके संज्ञान में लायी जाती है, तो वह, अधिनिर्णय की तारीख से छः माह के अपश्चात या अधिनियम की धारा–64 के अधीन प्राधिकरण को निर्देश देने से पूर्व, त्रुटि का निवारण कर सकेगा।

118. यदि अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है, तब अधिनियम की धारा–26 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आंकलित बाजार मूल्य को उस गुणांक से गुणित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचित करें।

119.किसीभू अर्जन प्रक्रिया के अन्तर्गत आत्ययिकता के उपबन्ध लागू होने की दशा में कलेक्टर राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा।

120. यह सुनिश्चित करना कलेक्टर का दायित्व होगा कि वह अधिनियम की धारा–25 में दिये गये प्रावधान के अनुसार अधिनिर्णय बारह माह के भीतर उद्दघोषित करे। बारह माह की यह अवधि अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि से गणना की जायेगी।

परन्तु समुचित सरकार इस बारह माह की अवधि को बढ़ा सकेगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती है,

121.यदि अधिनिर्णय के अनुसार प्रतिकर के भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि स्वामी/स्वामियों और/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें बिल्कुल हकदार नहीं है/हैं या भूमि/भूमियों के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और सरकार से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें ऐसी धनराशि जो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अवधारित के जो उसे/उनको प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि जो सरकार को उसके/उनके द्वारा वापस की जानी हो, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरूद्ध सरकार को (सयुक्तः और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरूद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण सरकार द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय और स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें इस प्रकार वापस की जाने वाली धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान/करेगा/करेंगे।

122.यदि स्वामी/स्वामियों और/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें पूर्ववर्ती नियम में उल्लिखित धनराशि सरकार को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो सरकार को उसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली कर सकेगी।

123.किसी आपसी या क्षतिपूर्ति के प्रर्वतन के लिये किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकारभूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अवधारित और प्रमाणित किसी धनराशि को, जो स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारों द्वारा, सरकार की वसूली द्वारा भू–राजस्व के बकाये के रूप में, देय होने वाली हो, और देय हो, वसूल कर सकेगी।

124. यदि इस भूमि/इन भूमियों से कोई सरकार देय/अंश/प्रीमियम स्वामी/स्वामियों या पक्षकार/पक्षकारों द्वारा देय है और किन्ही वित्तीय संस्थाओं के ऋण भूमि/भूमियों के विरूद्ध बकाया है तो उसे उक्त प्रतिकर की धनराशि से कटौती की जा सकेगी।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

125. कलेक्टर, अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसारप्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय करेगा अथवा जहां सहमति सम्मिलित है, वहां प्रभावित कुटुम्बों से समझौते द्वारा करार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए अधिनिर्णय **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XIII**पर करेगा।

126. जहां अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत की गयी है वहां परियोजना के प्रभावित कुटुम्बों को अधिनियम की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव अनुमन्य होंगे।

127. जब शहरीकरण के उद्देश्यों के लिए भूमि का अर्जन किया जाता है, वहां बीस प्रतिशत विकसित भूमि आफर करते समय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संघटकके लिए प्रयुक्त भूमि में बीस प्रतिशत विकसित भूमि को गणना में नहीं लिया जायेगा।

128. अपेक्षक निकाय की ओर से अर्जन की जा रही उन परियोाजनाओं में, जहां अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय कुटुम्बों का अनिवार्य विस्थापन होता है, एक विकास योजना राज्य सरकार द्वारा राज्य के सम्बन्धित सामाजिक कल्याण विभाग और, यथा स्थिाति, क्षेत्र की ग्राम पंचायत अथवा शहरी स्थानीय निकाय से परामर्श करते हुए बनायी जायेगी। इस योजना को, यथा स्थिति, ग्राम सभा अथवा शहरी निकायों की सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही के समय पढ़ा जायेगा और विचार विमर्श किया जायेगा।

129. अधिनियम की धारा–31 के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का अधिनिर्णय कलेक्टर द्वारा दिया जायेगा। किसी भी धनराशि का अधिनिर्णयदेने से पूर्व कलेक्टर मण्डल आयुक्त/आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा।

130. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय की घोषणा के लिए वित्तीय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

131. यदि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय के अन्तर्गत अवयवों के भुगतान के पश्चात यह प्रकट होता है कि स्वामी/स्वामियों/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें बिल्कुल हकदार नहीं है/हैं या भूमि/भूमियों के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनिर्णय प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और सरकार से किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है तो स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें ऐसी धनराशि अथवा अवयव, जैसी भी स्थिति हो, जो भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अवधारित के जो उसे/उनको प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि जो सरकार को उसके/उनके द्वारा वापस की जानी हो, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या

अवयव या उसके भाग के विरूद्ध सरकार को (सयुक्तः और पृथकतः) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान को सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरूद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण सरकार द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय और स्वामी/स्वामियों और हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें इस प्रकार वापस की जाने वाली धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान/करेगा/करेंगे।

132.यदि स्वामी/स्वामियों और/या हितबद्ध पक्षकार/पक्षकारें पूर्ववर्ती नियम में उल्लिखित, यथा स्थिति, धनराशि अथवा अवयव सरकार को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो सरकार को उसे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली कर सकेगी।

133. कलेक्टर अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं के प्रावधानों के निमित्त **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XIV(क)** पर आदेश निर्गत करेगा।

134. अपेक्षक निकाय की ओर से अर्जन की जा रही उन परियोजनाओं में, जहां अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीय कुटुम्बों का अनिवार्य विस्थापन होता है, एक विकास योजना कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा–41 की उपधारा (4) के प्रावधान अनुसार प्रभावित कुटुम्बों से परामर्श करते हुए बनायी जायेगी। इस योजना को, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के अन्तर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाही के समय पढ़ा जायेगा और विचार विमर्श किया जायेगा। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अधिनिर्णय देते समय कलेक्टर **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XIV(ख)** पर आदेश देगा।

135. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के इन नियमों में कहे गये प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस न्यूनाधिक सीमा तक निजी बातचीत के माध्यम से भूमि क्रय की जा रही है, जो सीमा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

प्रतिकर

136. प्रतिकर का अवधारण अधिनियम की धारा–26 से धारा–30 सपठित द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रावधानोंके अनुसार किया जायेगा और अधिनियम की धारा–3 की उपधारा ग के अन्तर्गत परिभाषित समस्त प्रभावित कुटुम्बों को भुगतान किया जायेगा। सम्पूर्ण परियोजना के प्रभावित कुटुम्बों, जिन्हें प्रतिकर एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अवयवों का भुगतान किया गया है का लेखा जोखा **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XV**में रखा जायेगा।

137. अधिनियम की धारा–28 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रतिकर की धनराशि का अवधारण किये जाते समय, कलेक्टर भूस्वामियों के साथ भूमि की दरों और शर्तों एवं दशाओं को तय कर सकेगा और मुकदमें वाजी की सम्भावनाओं को न्यून करने के लिएपरस्पर सहमति से अधिनिर्णय पर विचार

कर सकेगा, जो प्रभावित कुटुम्बों और अपेक्षक निकाय के लिए साम्यपूर्ण, न्याय के हित में और फायदाप्रद हो।

138. अधिनियम में यथा वर्णित प्रथम अनुसूची में प्रतिकर के अनुपात को, जो कि अधिनियम की धारा–3 की उपधारा–ग (ii) में संदर्भित प्रभावित कुटुम्बों को दिया जाना है, का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

139. प्रतिकर का भुगतान अधिनिर्णय के तीन माह के भीतर, भुगतान कैम्प आहूत करके,और यथा सम्भव खाता आदेशित चेक के माध्यम से किया जायेगा।

140. बाजार मूल्य हेतु तिथि का निर्धारण उस दिनांक से होगा, जिस दिनांक को अधिनियम की धारा–11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना निर्गत हुयी है।

141. भू–अर्जन के सभी मामलों में प्रति हेक्टेयर के अनुसार बाजार मूल्य अर्जन प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा।

भूमि का कब्जा प्राप्त करना

142. कलक्टर, अधिनियम की धारा–38 में दी गयी दशाओं के सन्तुष्ट होने पर अर्जित भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही करायेगा। इसके लिए कलेक्टर ऐसे किसी अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जो राज्य सरकार की ओर से औपचारिक कब्जा प्राप्त करेगा और उसके बाद अपेक्षक निकाय के नियुक्त व्यक्ति को सौंप देगा।राज्य सरकार और अपेक्षक निकाय की ओर से भूमि का कब्जा लेने के समय कब्जा हस्तान्तरण प्रपत्र तैयार किया जायेगा।

143. सरकार अधिनियम की धारा–40 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आत्ययिकता के निर्दिष्ट मामलों में , अधिनिर्णय की प्रत्याशा में कलेक्टर को सशक्त कर सकेगी।

144.सम्बन्धित पक्षकारों सेलिखित करार द्वारा कब्जा लेने के सिवाय, स्पष्टतः कब्जा प्राप्त करने से आशय प्राधिकारी द्वारा भूमि पर जाकर ऐसी कोई कार्यवाही करने से है जिससे यह प्रकट होता है कि प्राधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया है। यह मौके पर डुग्गी पिटवाने अथवा प्राधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा ले लिये जाने सम्बन्धी लिखित घोषणा लटकाने के रूप में हो सकेगा ।भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी की उपस्थिति भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेने को सिद्ध करने के लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि कब्जा लेने के समय कब्जा हस्तान्तरण प्रपत्र पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

145.यद्यपि अर्जित की गयी भूमि के कब्जा लेने के किसी कृत्य के सम्बन्ध में कोई सुनिश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते। तथापि भूमि का कब्जा लेने के सम्बन्ध में रीति यह है कि–

(i) जहां अर्जित भूमि रिक्त है, वहां सम्बन्धित राज्य प्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर **कब्जा पत्रक**तैयार किया जायेगा, जो कब्जा लेने की कार्यवाही स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा।

(ii) जहां अर्जित भूमि पर फसल खड़ी हो अथवानिर्माण/अवसंरचनाअवस्थिति हो, वहां सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा मौके में जाकर कब्जा लेने की कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी। सामान्यतः, ऐसे मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निर्माण/अवसंरचना के अधिभोगी अथवा उस व्यक्ति को जिसके द्वारा खेती की जा रही है, को नोटिस दिया जायेगा और कब्जा लेते समय स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए कब्जा लिया जायेगा।यदि भूमि अथवा निर्माण/अवसंरचना के स्वामी द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार किया जाता है, तो उसे कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही के निमित्त प्रतिबाधा नहीं समझा जायेगा।

(iii) यदि अर्जन का हिताधिकारी राज्य की एजेन्सी/संस्था है और अधिनियम की धारा–40 की उपधारा (3) व उपधारा (5) के निमित्त दशाओं को पूर्ण कर लिया गया है और अर्जित की गयी भूमि का आंशिक भू–भाग किसी विशिष्ट लोक हित के प्रोत्साहन में प्रयुक्त कर लिया गया है तो इसे अर्जित भूमि का कब्जा लेने के निमित्त पर्याप्त समझा जायेगा।

भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी भू–अर्जन की कार्यवाहियां

146. ऐसी कार्यवाहियों, जहां भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1 वर्ष 1894) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है और इसे शासकीय गजट में दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व प्रकाशित करा दिया गया है और जहां भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या–1 वर्ष 1894) की धारा–11 के अन्तर्गत अधिनिर्णय दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से पूर्व घोषित नहीं किया गया है वहां कार्यवाहियां पुराने अधिनियम के अनुसार ही होंगी, किन्तु प्रतिकर का भुगतान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में धारा–26 से 30 में दिये गये सूत्र के अनुसार किया जायेगा। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अवयवों को विद्यमान पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति और तद्विषयक शासकीय आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

प्रतिकर के बदले में भूमि का विकल्प दिये जाने हेतु अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया

147. सिंचाई परियोजनाओं में, सर्वेक्षण के समय प्रशासक परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में पर्याप्त भूमि की सम्भव्यताओं पर विचार करेगा। अपेक्षित भूमि का आंकलन प्रतिकर के बदले भूमि दिये जाने सम्बन्धित प्रभावित कुटुम्बों द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्रों के अनुसार किया जायेगा।

148. सम्बन्धित विभाग अथवा परियोजना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श अनुसार यदि प्रशासक सन्तुष्ट होता है कि कमाण्ड क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, तब वह भूमि का अन्तिम रूप से चयन करते हुए सम्बन्धित कलेक्टर को भूमि की उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण विवरण भेजेगा। प्राथमिक रूप से इस उद्देश्य के

लिए आवश्यक भूमि के लिए ग्राम सभा भूमि उचित विकल्प हो सकता है। यदि वह यह पाता है कि पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो वह जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिए अनुरोध करेगा।

149. प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिनकी भूमि अर्जित की गयी है अथवा अर्जन के परिणामस्वरूप सीमान्त अथवा भूमिहीन की स्थिति में आ गये हैं, को कलेक्टर द्वारा ऐसे प्रभावित कुटम्बों को प्रतिकर के भुगतान के समय नोटिस दिया जायेगा जिसमें अर्जित की गयी भूमि के प्रतिकर के बदले में कमाण्ड क्षेत्र में दी जाने योग्य भूमि और भूमि का मूल्य, जिसमें अर्जन की प्रशासनिक लागत का अनुपातिक मूल्य भी शामिल है, भूमि के धारित मूल्य के रूप में कलेक्टर के समक्ष जमा करायी जाने वाली धनराशि विवरण सम्मिलित होगा।

150. नोटिस की प्राप्ति के उपरान्त, प्रभावित कुटुम्ब, जो भूमि अनुदान के लिए पात्र है, कलेक्टर को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देगा कि वह अर्जित भूमि के लिए संदेय प्रतिकर के बदले भूमि लेने का इच्छुक है।

151. कलेक्टर ऐसे समस्त व्यक्तियों, जो भूमि लेने के इच्छुक हैं, द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों का एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस रजिस्टर में अंकित कराये जायेंगे। रजिस्टर में ऐसे सब प्रभावित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा, जो भूमि ग्राह्यता के लिए पात्र हैं, किन्तु वह भूमि के बदले भूमि नहीं चाहते है।

152. लिखित रूप में केवल प्राप्त सम्मति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को अर्जित भूमि के बदले में प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा और इसके उपरान्त उनके अथवा उनके द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा कालान्तर में भूमि के बदले भूमि दिये जाने का अनुरोध नहीं किया जा सकेगा।

वार्षिकी का विकल्प

153. रोजगार के बदले एकमुश्त भुगतान का विकल्प सभी प्रभावित कुटुम्बों को राज्य सरकार द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

154. अर्जन प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रभावित कुटुम्बों के हित में होगा कि अपेक्षक निकाय उद्यमियों के विकास की प्रशिक्षण सुविधायें, प्रभावित व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए तकनीकी और पेशेवर कौशल देने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें करे ताकि वे उपयुक्त रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके।

155. सिंचाई परियोजनाओं के मामलों में भूमि जल प्लावन की अनुमति अपेक्षक निकाय को तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधायें और मूलभूत न्यूनतम सुविधायें पूर्ण करते हुए स्थानीय निकाय को

हस्तान्तरित न कर दी गयी हों और परियोजना क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि के इच्छुक व पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित न कर दी गयी हो।

अध्याय–7

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति और राज्य मानीटरिंग समिति

156. राज्य सरकार, परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात सामाजिक सम्परीक्षा हेतु समिति का गठन करेगी।

157.प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार किये जाने के पश्चात समिति द्वारा प्रथम बैठक आहूत की जायेगी। समितियोजना के सम्बनध में विचार–विमर्श करेगी और इस पर अपने सुझाव व संस्तुति देगी । तत्पश्चात, अगली बैठकों में, समिति यथा आवश्यक पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया समाप्त होने तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक कर विचार करेगी। वह सम्परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श करेगी।

158. समिति की बैठक में प्रतिभाग करने वाले सदस्यों को संदेय भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर शासकीय सेवकों को दिया जाता है।

159.समिति प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकेगी और पुनर्स्थापित क्षेत्र के प्रभावित कुटुम्बों से पुनर्स्थापना प्रक्रिया के अनुश्रवण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर सकेगी।

राज्य मानीटरिंग समिति की स्थापना

160.राज्य सरकार अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अथवा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने के लिए समिति का गठन करेगी।

161.जैसे ही अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की योजना का अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है,राज्य मानीटरिंग समिति परियोजना के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में, यथा शीघ्र प्रथम बैठक करेगी।

162.समिति की बैठक में प्रतिभाग करने वाले विशेषज्ञों को संदेय भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर शासकीय सेवकों को दिया जाता है।

अध्याय–8

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन

163.राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य में भूमि अर्जन के विवादों के त्वरित निपटारे हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण का गठन करेगी।

164. यह प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना के जरिये निर्दिष्ट अनुसार कार्य करेगा।

165. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्य की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकेगी। प्राधिकरण द्वारा अधिनियम एवं नियमों में वर्णित शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा।

166. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्तिराज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा की जायेगी।

167. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, न्यायिक अथवा राजस्व सेवाओं के किसी अधिकारी को प्राधिकरण के निबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकेगी, यदि वह ऐसा समझती है कि प्राधिकरण के सुगम कार्यों के निष्पादन हेतु ऐसा करना आवश्यक है।अन्य कर्मचारी, जिनमें वरिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति प्राधिकरण के अनुरोध पर, यथा आवश्यकतानुसार, शासकीय सेवकों के शासकीय संवर्गों अथवा राजस्व विभाग से की जायेगी।

168. निबंधक व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन व परिलब्धियां वही होंगें, जैसा कि उनके द्वारा मूल विभाग में आहरित किया जा रहा है और प्रतिनियुक्ति भत्ता, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के मूल विभाग से परामर्श के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा। सेवा की शर्तें वही होंगी, जैसा कि उनके लिए राजकीय कार्यकारी सेवा नियमों में विहित है। ।

169. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को वेतन व अन्य परिलब्धियां देय होंगी जैसा कि राज्य के क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की शक्तियां

170. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण को उन मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार होगा, जहां पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों को मिथ्या दावों या कपटपूर्ण साधन के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। राज्य सरकार ऐसे लाभों को भूराजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगी, यदि इस प्रकार के लाभों को धन के रूप में प्राप्त किया गया है और भूमि अथवा भवन से अवैध अध्यासीनों को वेदखल करेगी, यदि इस प्रकार के लाभों को भूमि अथवा भवन के रूप में प्राप्त किया गया है। इस प्रकार रिक्त कराई गयी भूमि अथवा भवन को उसी परियोजना क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों के उपयोगार्थ लाया जा सकेगा और इसके अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

प्रकीर्ण विषय

171.अर्जित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि

(i)कलेक्टर, प्रत्येक जोत के अंश, जिसका अर्जन किया गया है, का क्षेत्रफल और उसके लिए संदेय किराया/राजस्व की धनराशि को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित करायेगा। वह यह भी देखेगा कि किसी विभाग/अपेक्षक निकाय के लिए अर्जित किये गये, क्षेत्र को राजस्व अभिलेखों में सम्बन्धित विभाग/अपेक्षक निकाय के पक्ष में आवश्यक प्रविष्टि कर दी गयी है।

(ii) भूमि अर्जन कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात कलेक्टर (भूमि अर्जन) **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XVI**में चार प्रतियों में एक रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–33 के अधीन आदेश पारित करने के लिये, जिले के कलेक्टर को आदेशार्थ प्रस्तुत करेगा, जो आदेश पारित करने के लिए दो प्रतियों में, अपने हस्ताक्षरयुक्त परवाना, अमलदरामद तहसीलदार को जारी करेगा।

(iii) तहसीलदार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद के पश्चात एक प्रति जिला कलेक्टर को और एक प्रति सम्बन्धित भूमि अर्जन अधिकारी को सीधे वापस कर देगा।

(iv) निजी कम्पनियों के लिये अर्जन के मामले में भू–धृति–धारियों, जिसकी भूमि अर्जित की गयी हो, के नाम निकाल दिये जायेंगे और उनको सम्बन्धित विभाग के नाम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। कम्पनी राज्य में प्रचलित विधि के अन्तर्गत अपना नामांतरण करा सकेगी।

(v)अमलदरामद के आदेश में भू–राजस्व में कमी करने के आदेश भी सम्मिलित होंगे। भू–राजस्व की कमी और छूट का एक विवरण **भूमि अर्जन प्रारूप भू0अ0–XVIII**में प्रत्येक अर्जन परियोजना के लिये गांववार तैयार किया जायेगा।

(vi) भू–राजस्व में कमी/छूट से सम्बन्धित मासिक विवरण, वर्ष की समाप्ति पर, निम्नलिखित सारणीबद्ध रूप में तीन प्रतियों में, आयुक्त राजस्व परिषद को प्रेषित किया जायेगाः

जिला	अधिसूचना का विवरण/अर्जन की घोषणा	छूट व कमी स्वीकृत करने वाले आदेश की संख्या व दिनांक	छूट दी गयी धनराशि ..... से ..... तक	कम की गयी धनराशि फसली .....

भू–राजस्व का पूंजीकृत मूल्य

172. भू–राजस्व का पूंजीकृत मूल्य कतिपय अनेक वर्षों के भू–राजस्व का पूर्णयोग होता है, जो अर्जन निकाय द्वारा राज्य सरकार को भू–राजस्व की हानि को पूर्ति के लिये, जो

अनिवार्य अर्जन के मामलों में राजस्व मे ंकमी के फलस्वरूप हुई हो, संदेय होता है। कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुसरण किया जायेगा–

क. भू–राजस्व के पूंजीकृत मूल्य की गणना वार्षिक भू–राजस्व को **एक सौ पचास गुणा** करके की जायेगी। ऐसे मामले जिनमे ंभूमि का भू–राजस्व निर्धारण अनिवार्य अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्ण तक न किया गया हो, इसकी गणना सम्पूर्ण गांव की प्रति हे0 भू–राजस्व की औसत दर पर की जायेगी।

ख. भू–राजस्व के पूंजीकृत मूल्य को प्रभारित नहीं किया जायेगा जब भूमि को राज्य सरकार के गैर वाणिज्यिक विभागों के लिये अनिवार्यतः अर्जित किया गया हो किन्तु भू–राजस्व की औसत दर पर की जायेगी।

ग. भू–राजस्व के पूंजीकृत मूल्य को राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों सहित समस्त अन्य अर्जन निकायों पर प्रभारित किया जायेगा। ऐसे समस्त मामलों में भू–राजस्व की छूट अर्जन के दिनांक से ही प्रभावी होगी।

घ. तथापि, स्थानीय निकायों अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों को, जिनकी ओर से भूमि का अनिवार्य अर्जन किया गया हो, एक विकल्प होगा कि या तो उनको भूमि का कब्जा दिये जाने के दिनांक से भू–राजस्व का भुगतान जारी रखें या भू–राजस्व के पूंजीकृत मूल्य का भुगतान कर दें। बाद में मामलें में भावी भू–राजस्व से छूट प्राप्त हो जायेगी।

ड.ऐसे मामलों, जिनमे ंसंघ के प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन किया जाता है, वर्तमान जिनके अधीन भू–राजस्व के **एक सौ गुणा** के बराबर पूंजीकृत मूल्य प्रभारित किया जाता है, उनका लागू होना अग्रतर आदेशों तक जारी रहेगा।

173. कलेक्टर भूमि के ऐसे समस्त विनियोजनों का रजिस्टर रखवायेगा, जो लोक प्रयोजनों के लिए या कम्पनी के लिए की गयी हो। रजिस्टर में प्रविष्टियां कालानुक्रम में की जायेगी और उनको विभागवार किया जाना आवश्यक नहीं होगा। उनको प्रथम बार अपेक्षक निकाय अथवा विभाग द्वारा अर्जन के लिए आवेदन किये जाने अथवा अर्जन की लागत की सूचना दिये जाने के बाद यथा शीघ्र तैयार किया जायेगा ।

174. अनुपयोजित भूमि का मूल भूस्वामियों को वापस किया जाना– जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष तक अनुपयोजित रह जाती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथा स्थिति मूल भूस्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक में वापस किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षक निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की गयी है, को नोटिस निर्गत किया जायेगा और उन्हें इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा भूमि का कब्जा वापस लिये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अभिलिखित आदेश पारित किया जायेगा। यदि अपेक्षक निकाय भूमि का कब्जा हस्तगत नहीं करता

है तो मजिस्ट्रेट अपेक्षक निकाय को पूर्व में नोटिस देकर कब्जा लेगा और राज्य सरकार को हस्तगत करेगा।

175. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति– यदि इन नियमों के अन्तर्गत प्रावधानों की व्याख्या करने में अथवा इन्हें लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार का राजस्व विभाग ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए निर्देश दे सकेगा। इस प्रकार दिये गये निर्देश सभी सम्बन्धितों के लिए बाध्यकारी होंगे।

176.नियमों में संशोधन– राज्य सरकार का राजस्व विभाग यथा आवश्यक नियमों में संशोधन करने अथवा परिशोधन करने हेतु समर्थ होगा।

आज्ञा से

ह0/–

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव